परिशिष्ट "क"

(7) [3/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1242]

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972

The Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम 1972 *1

क्रमांक 3 सन् 1973

[दिनांक 21 जनवरी 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)' में दिनांक 22 जनवरी 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध मे कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश राज्य मे गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल के निगमन विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयो के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।*2

भारत गणराज्य के तेईसवे वर्ष मे मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

---

म.प्र. राजपत्र दिनांक 04 01 2011 में प्रकाशित (संशोधन) अधिनियम 2010 से ''गृह निर्माण'' शब्द के स्थान पर ''गृह निर्माण एव अधोसरचना विकास'' शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 04 01 2011 में प्रकाशित (संशोधन) अधिनियम 2010 से ''पूर्ति करने के लियें प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश के लियें गृह निर्माण'' शब्द के स्थान पर ''पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लियें म.प्र. राज्य में गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास'' शब्द प्रतिस्थापित किया गया।